# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 7/2021 राजस्व वाद

अनवान

भागू पिता भैरू गुर्जर फौत के बजाय—
1—रामदेव पिता भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2—रणजीत पिता भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
3—नारायण पिता भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
4—पूरणमल पिता भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
5—हीरू पुत्री भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
6—बाली पुत्री भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
7—मूलीदेवी पत्नि भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बनेड़ा न्यायालय सत्यमेव जयते

— वादीगण

बनाम

1— उदा पिता सोजी गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2—देवकरण पिता लादू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
3—राजू पिता रघुनाथ गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
4—छोटू पिता रघुनाथ गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
5—मदन पिता हगामा खाती निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
6—अर्जुन पिता कल्याण गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थितः— श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)
पेरोकार सरकार —प्रतिवादी सं0 7

## निर्णय

दिनांक 12.03.2025

वादी के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है —

1—यह कि ग्राम जासोरिया पटवार हल्का जासोरिया तहसील बनेड़ा में आराजी नम्बर 1398, 1457, 1458, 1459, 1460 कुल कीता 05 कुल रकबा 5.16 बीघा भूमि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है।

2—यह कि वादी की उक्त आराजीयात के साथ—साथ प्रतिवादीगण की आराजी स्थित है परन्तु पुख्ता निशानात नहीं होने के कारण वादी ने न्यायालय आप में प्रतिवादीगण व अन्य पड़ौसियों के विरूद्ध पत्थरगढी का प्रार्थनापत्र संख्या 95/2019 प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 24.09.2019 को स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश प्रदान किए गए।

3—यह कि उक्त प्रार्थनापत्र पत्थरगढी के आदेश दिनांक 24.09.2019 की पालना में गिरदावर साहब व पटवारी हल्का जसोरिया व अन्य मौतबिरान व वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में दिनांक 15.06.2020 को मौके पर वादवर्णित आराजी नम्बर 1398, 1457, 1458, 1459, 1460 कुल कीता 05 कुल रकबा 5.16 बीघा भूमि की पत्थरगढी की गई जिसका पर्चामौका बनाया गया। जिसमें आराजी नम्बर 1398 की उत्तरी मेड़ के किनारे—किनारे उदा पिता सोजी गुर्जर द्वारा रकबा 0.15 बीघा तथा इसी आराजी की दक्षिण मेड़ के सहार—सहारे देवकरण पिता लादू, राजू, छोटू पिता रघुनाथ गुर्जर व मदन पिता हगामा खाती द्वारा संयुक्त रूप से 0.02 बिस्वा तथा इसी आराजी के पश्चिम मेड़ के सहारे—सहारें अर्जुन पिता कल्याण गुर्जर ने रकबा 0.02 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा किए जाने की जानकारी में आया जिससे यह वाद श्रीमान की सेवामें प्रस्तुत किया है।

4—अतः निवेदन है कि वादी की आराजी नम्बर 1398 की उत्तरी मेड़ के किनारे—किनारे उदा पिता सोजी गुर्जर द्वारा रकबा 0.15 बीघा तथा इसी आराजी की दक्षिण मेड़ के सहार—सहारे देवकरण पिता लादू, राजू, छोटू पिता रघुनाथ गुर्जर व मदन पिता हगामा खाती द्वारा संयुक्त रूप से 0.02 बिस्वा तथा इसी

आराजी के पश्चिम मेड़ के सहारे–सहारे अर्जुन पिता कल्याण गुर्जर ने रकबा 0.02 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा कर रखा है जिससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी के सिपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित फरमाई जावे।

5–यह कि वादी का वाद दिनांक 12.01.2021 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ दिनांक 29.04.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में वादी के फौत होने पर वारिसान की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी0पी0सी0 का पेश करते हुए मृतक भागू के वारिसान की ओर से अधिवक्ता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किए जाने तथा प्रार्थनापत्र का खण्डन नहीं किए जाने पर प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने पर दिनांक 22.01.2025 को संशोधित अनवान प्रस्तुत किया गया।

6–यह कि वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

7–हमने वकील वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी के द्वारा प्रकरण एक तरफा होने से साक्ष्य में कोई गवाह के मौखिक बयान बलमबद्ध नहीं कराये न ही कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज पठनीय नहीं होने से वादी का वाद दस्तावेजों के अभाव में सिद्ध नहीं होने से खारीज किया जाता है।

**आदेश**

वादी का वाद दस्तावेजों के अभाव में खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( श्रीकान्त व्यास )
उपखण्ड अधिकारी,बनेड़ा
जिला भीलवाडा

न्यायालय / कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बनेड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

**:: मूल वाद में अन्तिम डिक्री ::**

**आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.**

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 07 / 2021 राजस्व वाद

अनवान

भागू पिता भैरू गुर्जर फौत के बजाय–
1–रामदेव पिता भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2–रणजीत पिता भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
3–नारायण पिता भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
4–पूरणमल पिता भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
5–हीरू पुत्री भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
6–बाली पुत्री भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
7–मूलीदेवी पत्नि भागू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा

– वादीगण

**बनाम**

1– उदा पिता सोजी गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2–देवकरण पिता लादू गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
3–राजू पिता रघुनाथ गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
4–छोटू पिता रघुनाथ गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
5–मदन पिता हगामा खाती निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा
6–अर्जुन पिता कल्याण गुर्जर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थितः– श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)
पेरोकार सरकार –(प्रतिवादी सं0 7)

## निर्णय

दिनांक 12.03.2025

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद दस्तावेजों के अभाव में खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह डिक्री आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा